भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1979

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली के निगमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना

†1979. श्री परवेज हाशमीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निगमों के कर्मचारियों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) भारत सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को पिछले एक वर्ष में कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है तथा किस-किस मद में दिया गया है; और
(ग) उपरोक्त तीनों निगमों को वेतन के मद में कितना भुगतान किया जाता है एवं भारत सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को कितना अनुदान दिया जाता है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): स्थानीय निकाय निदेशालय ने सूचित किया है कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के कर्मचारियों को मार्च, 2016 माह तक का वेतन संवितरित कर दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन के संवितरण में कोई विलंब नहीं है।

(ख): पिछले एक वर्ष में केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रदत्त की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) योजना के तहत सामान्य केन्द्रीय सहायता-444.88 करोड़ रु.।

(ii) योजनेत्तर के तहत केन्द्रीय करों और शुल्कों में भागीदारी के बदले में अनुदान-325.00 करोड़ रु.।

(iii) योजनेत्तर के तहत “1984 के दंगा पीड़ितों के लिए संवर्धित मुआवजे” के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को संवितरण-10.00 करोड़ रु.।

(ग): केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली के नगर निगमों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कोई पृथक निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं।